कार्यालय कलेक्टर (जिला पेंशन शाखा) सीहोर (म0प्र0)

जा.क्र. /366 / पेंशन / 2016 / सीहोर, दिनांक 27/09/2016

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

—————————— (समस्त)

जिला – सीहोर

विषय :– सेवानिवृति पर शासकीय सेवको से वसूलियों के संवध में ।

संदर्भ :– म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ9–6 / 2011 / नियम / चार दिनांक 23 नवम्वर,2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र में वर्णित निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के पूर्व बकाया राशियों के वसूली सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों की ओर प्रेषित किया गया था, किन्तु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में निराकृत पेंशन प्रकरणों में बकाया राशियों की वसूलियॉ, लगभग 55 लाख रूपये उपादान से वसूली जिला पेंशन कार्यालय सीहोर द्वारा की गई , इससे यह सिद्व होता है कि शासन निर्देशो का कडाई से पालन नहीं किया जा रहा है ।

पुनः संदर्भित परिपत्र मे वर्णित निर्देशो के अनुक्रम में समस्त अधीनस्तों के संज्ञान मे लाकर कडाई से पालन कराये जाने के निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है –

1 – कार्यालय प्रमुखो को संवधित शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व वेतन निर्धारण अनुमोदन सयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से किया जाये, यदि वसूली संवंधी टीप अंकित होती है तो वसूली योग्य राशियों का निर्धारण कर संपूर्ण राशि सेवा निवृत्ति के पूर्व तक पूरी हो जाना चाहिये । यदि किसी कारण से कोई वसूली योग्य राशि अवशेष रहती है तो संबंधित को उसकी सेवा निवृत्ति पर देय अन्य भुगतान जैसे अर्जित अवकाश समर्पण / नगदीकरण ,प्रत्याशित उपादान या शासकीय सेवक की सहमति से परिवार कल्याण निधि / समूह बीमा राशि की बचत जमा राशि आदि से वसूलियॉ सूनिश्चित करें ।

2 – म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–2 / 2016 / नियम / चार भोपाल दिनांक 31–03–2016 के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुखो द्वारा वेतन निर्धारण में लापरवाही अथवा जानबूझ कर गड़बडी करने तथा वेतन निर्धारण अनुमोदन न कराकर एवं लगातार भुगतान कर शासन हानि हेतु जिम्मेदार कर्मचारी /अधिकारी से वसूलियां सूनिश्चित करें ।

3 – उपरोक्त बिन्दूओ के परिपेक्ष में समस्त कार्यालय प्रमुखों / आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्देशो का कडाई से पालन किया जाये एवं जनवरी 2017 से बकाया राशि की वसूली उपादान की राशि से नहीं की जावेगी ।

4 – जनवरी 2017 से बकाया राशि सहित पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है अथवा पेंशन प्रकरणों के परीक्षण के दौरान अधिक भुगतान की बकाया राशि की स्थिति निर्मित होती है तो संवंधित कार्यालय प्रमुखों / आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कलेक्टर
जिला–सीहार

पृ0जा.क्र. / / पेंशन / 2016 / सीहोर, दिनांक ....

प्रतिलिपि– 1. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय पेंशन अधिकारी सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–सीहार